

12/3/19

उपयुक्त
दिनांक... 13/3/19
को पेश हो

13/3/19 पत्रावली पेश हुई। वकील उमय पक्ष उपयुक्त वकील
अपीलान्ट बहस को समग्र चाहे हैं। वान्ते
बहस पत्रावली दिनांक 18/3/19 को पेश हो।

18/3/19

पत्रावली पेश हुई। वकील उमय पक्ष उपयुक्त वकील
अपील बहस को समग्र चाहे हैं। बहस हेतु अग्रिम
आवत दिनांक पत्रावली वान्ते बहस दिनांक
25/3/19 को पेश हो।

25/3/19

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट एवं फौजदार राजम
उपयुक्त वकील उमय पक्ष सुनी गयी। फौजदार
राजम द्वारा कथन किया कि तहसीलदार बोली
के समित्त सं. 492/12 में पारित निर्णय दिनांक 21/11/12
की अपील पूर्व में अपीलान्ट द्वारा उच्च न्यायालय में
पेश की जा चुकी है जो अ.सं. 25/13 हरदोरा/सरकार
के माथ ले दर्त होकर दिनांक 29/12/17 को खारिज की
जा चुकी है। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत मह
अपील रिस्यूडीकेशन की अर्जी में आती है जो खारिज
किये जाने योग्य है। पत्रावली का अवलोकन पर फौजदार
राजम को कथन उचित प्रतीत होता है। अतः अपीलान्ट
की ओर से प्रस्तुत अपील रिस्यूडीकेशन में होने के
कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फौजदार
होकर नमूना से कम हो एवं बाद तक प्रील डारिक्ल
अग्रिम पेश की जावे। अस्ता सुनायी गयी।

रजिस्टर्ड

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

प्रति निर्णय मय पत्रावली संख्या... 492/12
तारीख निर्णय... 21/11/12
क्रमांक... 10/6
दिनांक... 25/3/19

